रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 1973/फाल्गुन 8, 1894

No. 43] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 1973/PHALGUNA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 27th February, 1973.

G.S.R. 72(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) read with clause (h) of sub-rule (3), of rule 114 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for securing the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, and for securing the equitable distribution and availability of jute textiles at fair prices, hereby fixes the price mentioned in column (3) of the First Schedule appended to this Order as the maximum ex-factory price at which the varieties of jute textiles mentioned in the corresponding entries in column (2) of the said schedule shall be purchased or sold during the month of February, 1973.

Provided that the price so fixed in respect of the variety of jute textiles mentioned in Serial No. 1 of the First Schedule appended to this Order shall be reduced to the extent specified in column (2) or column (3) of the Second Schedule appended to the Order in respect of the minimum breaking strength specified in the corresponding entries in column (1) of the Second Schedule.

Explanation.—For the purpose of this Order, the price specified in the First or Second Schedule appended to this Order shall be exclusive of the duty of excise and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

2. Nothing in this Order shall apply to any quantity of jute textiles which may be exported during the period specified in paragraph 1 pursuant to any contract entered into before the commencement of this Order.

THE FIRST SCHEDULE

Sl. No.	Category of jute bags	Maximum ex-factory price
(1)	(2)	(3)
1.	Standard B. Twill bags of the size $43\frac{1}{2}''$ × $26\frac{1}{2}''$, WIP 44″ × $26\frac{1}{2}''$ HD $2\frac{1}{4}$ lbs. per bag, 6 × 8, 3 blue, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. IS: 2566-1965 as amended upto-date).	Rs. 255·63 per 100 bags.
2.	DW Flour Bags $43\frac{1}{2}''$ × 28″ HD weight in proportion 56″ × 28″ HD, $2\frac{1}{2}$ lbs. per bag 7 × 9 or 8 × 8 plain dry sewn.	Rs. 231·90 per 100 bags.

THE SECOND SECHEDULE

Minimum breaking strength	Reduction in price per 100 bags	
	warp way	weft way
(1)	(2)	(3)
ISI Standard Breaking Strength	160 kg. Rs.	165 kg. Rs.
160	—	0·55
155	0·39	1·02
150	1·06	1·50
145	1·62	2·11
140	2·24	3·42
135	2·86	4·27
130	3·42	—

[No. 18012/1/72-Tex (D).]

(B. D. KUMAR
Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1973

जी० एस० आर० 72(अ).—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 114 के उप-नियम (3) के खण्ड (एच) के साथ पठित, उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, ऐसी राय होने पर कि समाज के जीवन के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई तत्सम्बन्धी सेवाओं को जारी रखने के उद्देश्य से और पटसन

वस्त्रों के न्यायोचित वितरण और उचित मूल्यों पर उसकी उपलब्धि के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और उचित हैं, एतद्द्वारा, इस आदेश से संलग्न प्रथम अनसूची के कालम (3) में उल्लिखित मूल्य, ऐसे अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य के रूप में निश्चित करती है, जिस पर उक्त अनुसूची के कालम 2 की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्में फरवरी, 1973 के मास में खरीदी या बेची जायेगी ।

परन्तु इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 1 में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्म के बारे में इस प्रकार से निश्चित किए गए मूल्य को, इस आदेश से संलग्न द्वितीय अनुसूची के कालम (1) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट न्यूनतम धारण क्षमता (ब्रेकिंग स्ट्रैंथ) के अनुसार उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम (2) या कालम (3) में, बताई गई सीमा तक घटाया जायेगा ।

स्पष्टीकरण : इस आदेश के प्रयोजन के लिए, इस आदेश से संलग्न प्रथम या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट मूल्यों में उत्पादन शुल्क और बिक्री कर शामिल नहीं है, जिन्हें खरीददार को ही, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर, एक्स-फैक्टरी मूल्य के अतिरिक्त अदा करना होगा ।

2. इस आदेश में दी हुई कोई भी बात पटसन वस्त्रों की ऐसी किसी भी मात्रा पर लागू नहीं होगी, जो इस आदेश के लागू होने से पहले किये गये किसी भी ठेके के अनुसरण में पैरा 1 में निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्यात की गई हो ।

प्रथम अनुसूची

क्रम संख्या	पटसन के बोरों का दर्जा	अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य
1	स्टैण्डर्ड बी ट्विल, बोरे; साइज $43\frac{1}{2}'' \times 26\frac{1}{2}''$ जिस का वजन $44'' \times 26\frac{1}{2}''$ एच डी $2\frac{1}{4}''$ पौंड प्रति बोरी 6×8, 3 बल्यू, खुश्क सिली हुई के अनुपात में हो और जो शेष सभी प्रकार से वर्तमान आई० एस० आई० की विशिष्टियों के अनुरूप हों (संख्या आई एस : 2566-1965 अद्यतन यथा संशोधित)।	255.63 रुपये प्रति 100 बोरे
2	डी-डब्ल्यू आटे के बोरे $43\frac{1}{2}'' \times 28''$ एच० डी० अनुपात के अनुसार वजन, $56 \times 28''$ एच० डी० $2\frac{1}{2}$ पौंड प्रति बोरा, 7×9 या 8×8 सादा, खुश्क सिला हुआ ।	231.90 रुपये प्रति 100 बोरे

द्वितीय अनुसूची

धारण क्षमता (ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ)	प्रति 100 बोरों के मूल्य में कमी (ताने में)	(बाने में)
आई० एस० आई० स्टैण्डर्ड (ब्रेकिंग स्ट्रेंथ)	160 किलोग्राम	165 किलोग्राम
	रुपये	रुपये
160	—	0·55
155	0·39	1·02
50	1·06	1·50
145	1·62	2·11
140	2·24	3·42
135	2·86	4·27
130	3·42	—

[सं० 18012/1/72–टैक्स(डी)]

बी०डी० कुमार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973